

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 12, मार्च-2021,

-आदेश-

उत्तर प्रदेश, वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 26.03.2021 को पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री क्षितिज कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली एवं श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/12.03.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/पू0पी0/ <sup>611</sup> /2021, तद्विनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ व पीठ-बरेली।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

५

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।